यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

ठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 235/2012
CMS NO. : 2012/00189

–: प्रार्थी :– बनाम –: अप्रार्थीगण :–

1. सतीश पुत्र बुधमल
2. जशोदा पुत्र बुधमल
समस्त जातियान सुथार (खाती) निवासीगण निम्बोल निवासीगण तहसील जैतारण जिला पाली।

1. प्रकाश पुत्र बुधमल
2. श्रवणकुमार पुत्र बुधमल
3. बेबी देवी पुत्री बुधमल
4. संतोष देवी पुत्री बुधमल
5. पार्वती देवी पुत्री बुधमल
6. मैथी देवी पत्नी बुधमल जातियान खाती निवासीगण निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली।
7. सुनिल जांगिड़ पुत्र मूलाराम जाति सुथार निवासी सोजतसिटी नयापुरा का बास तहसील सोजतसिटी जिला पाली आम मुख्तयारधारक गैरसायल संख्या 01 से 06
8. मैसर्स ब्रिज एण्ड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. कार्यालय 90 बी.एस.पी. मुखर्जी रोड़, कलकता जरिए लक्ष्मणभाई मोहनभाई सोजीतरा
9. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण जिला पाली।
10. श्री भरतभाई मेहता पुत्र अनराज मेहता मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट प्रा.लि. निम्बोल तहसील जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

तारीख रजू:–20.12.2012

उपस्थित:–

1. श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक:–30/08/2022

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा निम्बोलभू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निम्बोल तहसील–जैतारण जिला पाली राज0 में सायलान एवं गैरसायलान संख्या 01 से 06 की हिन्दु मुर्स्तका खानदान की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी कब्जे काश्त की जमीन खसरा संख्या 433 रकबा 07–03 बीघा, खसरा संख्या 436 रकबा 5–08 बीघा कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 12–11 बीघा किस्म बारानी दोयम की आयी हुई है। नकल जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 की प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

जिरे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। गैरसायल संख्या 07 ने अवैध व रकानूनी रूप से गैरसायल संख्या 01 से 06 का आम मुख्तायरनामा आने पक्ष में यार कर सम्पूर्ण भूमि गैरसायल संख्या 08 के नाम जरिए पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 30.08.2010 को कर दिया। उक्त भूमि के 1/2 हिस्से की भूमि जो बुधमल की है उसमें सायलान का भी हक अधिकार व हिस्सा है। म्यूटेशन संख्या 2356 भरा गया तब सायलान का बुधमल की संतान होते हुए भी पटवारी हल्का ने म्युटेशन भरते समय नाम छोड़ दिया जो गलत है। जबकि बुधमल की 1/2 हिस्से की भूमि में गैरसायल संख्या 01 से 06 के साथ साथ सायलान भी बराबर बराबर के हिस्सेदार व काश्तकार खातेदार है। वादग्रस्त भूमि सायलान की पैतृक पुश्तैनी व कब्जा काश्त की सामलाती भूमि है उक्त भूमि में सायलान यह काश्तकार है उक्त भूमि के बिना बंटवाड़ा करवाये ही गैरसायलान संख्या 7 ने जरिए आम मुख्त्यार के अवैध व गैरकानूनी रूप से दिनांक 30.08.2010 को गैरसायल संख्या 8 के पक्ष में जरिए पंजीबद्ध विक्रय विलेख के उक्त भूमि बैचान कर दी, जो प्रभावशुन्य है तथा सायलान के हितों के विरुद्ध बेअसर है, क्योंकि उक्त भूमि के 1/2 हिस्से की भूमि में गैरसायल संख्या 01 से 06 के साथ साथ सायलान भी बराबर बराबर के हिस्से यानि 1/2 का 1/8, 1/8 हिस्से की भूमि के खातेदार काश्तकार है इसलिए उक्त भूमि बैचने का कोई कानूनी अधिकार उनको प्राप्त नही था। इस प्रकार से अपने 1/8, 1/8 हिस्से की भूमि की घोषणा करवाने के सायलान अधिकारी है। दिनांक 30.08.2010 का जो विक्रय विलेख जिसकी फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है सायलान के हिस्से तक प्रभावशून्य व बेअसर है। इसलिए घोषणा का वाद श्रीमान की सेवा में पेश किया जा चुका है। गैरसायलान ने यह जानते हुए भी 1/2 हिस्से की भूमि मे सायलान का हक व हिस्सा है अवैध व गैरकानूनी रूप से आम मुख्त्यारनामा पक्ष में करवाकर जो बैचान गैरसायल संया 8 को किया है। उक्त पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर गैरसायल संख्या 8 उक्त भूमि को आगे से आगे बिना बंटवाड़ा कराये अवैध व गैरकानूनी विक्रय विलेख दिनांक 30.08.2010 के आधार पर उक्त भूमि का रहन बैचान बक्शीश या अन्य तरह से हस्तान्तरण कर देंगे या उक्त भूमि पर कब्जा पक्का निर्माण कर देंगे तो सायलान को अपने हिस्से की खातेदार कब्जे काश्त की पैतृक पुश्तैनी भूमि बराबर विभिन्न प्रकार के फौजदारी व दीवानी मुकदमें करने पड़ेगे जिससे सायलान जैरबार हो जायेगे जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी इसलिए उक्त वाद/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष पेश है। तथ्यो, परिस्थितियो व दस्तावेजात से सायलान के पक्ष में बहुत ही मजबूत प्रथम दृष्टया मामला है तथा गैरसायलान द्वारा उक्त गलत व गैरकानूनी विक्रय विलेख दिनांक 30.08.2010 के आधार पर उक्त भूमि का आगे से आगे बैचान हस्तान्तरण आदि कर देते है व सायलान को अपने हिस्से की भूमि से बेदखल कर देते है तो सायलान की अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी। तथा मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनो ही बिन्दू सायलान के पक्ष में होने से अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान के पक्ष में जारी की जाना आवश्यक है।

पदेन ... कलक्टर,

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थीगण संख्या 10 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण संख्या 10 ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर कथन किया है कि गैरसायल मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट प्रा. लि. जो कि मैसर्स निरमा लिमिटेड कम्पनी में समाहित प्रा. लि. कम्पनी है। पश्चातवर्ती प्रक्रम में उक्त मैसर्स निरमा लिमिटेड का निम्बोल स्थित सीमेंट प्लांट का नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड में समागम हो जाने से नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से संबंधित विधिक कार्यवाहीया करने हेतू श्री परिक्षित खिड़िया को अधिकृत करते हुए उन्हे अपना आम मुख्त्यारधारक नियुक्त कर दिया है। आम मुख्त्यारधारक की प्रति इस जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है, साथ ही इस प्रार्थना पत्र का जवाब पेरावाईज निम्नानुसार है- 1. मौजा निम्बोल तहसील जैतारण में स्थित खसरा संख्या 733 व 736 की भूमि में सायलान का किसी भी प्रकार का कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार होने के कथन कतई गलत होने से अस्वीकार है। सा थ ही उक्त भूमि सायलान की पैतृक व पुश्तैनी भूमि होने के कथन भी कतई असत्य झूठे निराधार होने से अस्वीकार है। बल्कि इस प्रकरण में वास्तविकता इस प्रकार है-कि मौजा निम्बोल में स्थित खसरा संख्या 433 व 436 की भूमि के रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार प्रकाशचंद, श्रवणकुमार पिसरान बुधमल, बेबीदेवी संतोष, पार्वती पिसरान बुधमल एवं भंवरी देवी पत्नी बुधमल व शंकर पुत्र सुजाराम जातियान खाती ने अपनी जायज जरूरत हेतू इस भूमि का पंजीबद्ध बैचान दिनांक 25.06.2010 को मैसर्स ब्रिज एण्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. गैरसायल संख्या 08 को प्रतिफल की राशि लेने हुए कर दिया था। एवं वक्त बैचान के ही मौके पर कब्जा भी क्रेता को सौंप दिया था। इस प्रकार से माफिक पंजीबद्ध बैचाननामा अनुसार नामान्तरण संख्या 2397 के जरिए उक्त भूमि क्रेता मैसर्स ब्रिज एण्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रा. लि./ गैरसायल संख्या 08 के नाम दर्ज हो गई थी। नकल पंजीबद्ध बैचाननामा/नामान्तरण संख्या 2397 दिनांक 20.12.2010 इस जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस प्रकार से मैसर्स ब्रिज एण्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रा. लि./ गैरसायल संख्या 08 ने उक्त भूमि माफिक राजस्व रेकर्ड के अनुसार राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति का अवलोकन करने के उपरान्त खरीद की थी। इस प्रकार से मैसर्स ब्रिज एण्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रा. लि./ गैरसायल संख्या 08 इस वादग्रस्त भूमि के सद्भावी क्रेता है। तथा मैसर्स मैसर्स ब्रिज एण्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रा. लि./ गैरसायल संख्या 08 के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध बैचाननामा दिनांक 25.06.2010 आज भी विधिक रूप से अस्तित्व मं है। जिसे सायलान के कहीं पर भी चेलेन्ज नही किया है। इस प्रकार से मैसर्स ब्रिज एण्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रा. लि./ गैरसायल संख्या 08 के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध बैचान विलेख दिनांक 25.06.2010 के अस्तित्व में रहते हुए सायलान इस प्रार्थना पत्र के जरिए घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने के कतई अधिकारी नही होने से सायलान का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने के खारिज किया जावे। मैसर्स ब्रिज एण्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रा. लि./ गैरसायल संख्या

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

8 द्वारा खरीदशुदा उक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बरान् 433 व 436 की भूमि को राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षैत्रो में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन/रूपान्तरण) नियम 2007 के तहत इस वादग्रस्त भूमि को अन्य खसरा नम्बरान की भूमियो के साथ मिलाते हुए भू रूपान्तरण वास्ते औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन (सीमेंट उद्योग) हेतु भू रूपान्तरण करवा लिया। साथ ही इस वादग्रस्त भूमि को दो अलग पंजीबद्ध बैचान विलेख के जरिए दिनांक 25.03.2011 को जवाब देहन्दा कम्पनी के पूर्ववर्ती नाम मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड को बेचान करते हुए मौके पर जवाब देहन्दा कम्पनी को कब्जा भी दिनांक 25.03. 2011 को सौंप दिया था। इस प्रकार से दिनांक 25.03.2011 तक सायलान ने अदालत श्रीमान के समक्ष या अन्य किसी स्तर पर कोई चाराजोही नही की थी। इस प्रकार से जवाब देहन्दा कम्पनी भी इस भूमि की सद्‌भावी क्रेता है। जिसके विरूद्ध सायलान का प्रार्थना पत्र कतई पोषणीय नही है। उक्त तथ्यो के अलावा इस पद में वर्णित तमाम तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप कतई असत्य झूठे व बेबूनियाद होने के अस्वीकार है। गैरसायल संख्या 01 से 06 जो कि इस वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार रहे है। उन्होने अपनी जायज जरूरत हेतू इस वादग्रस्त भूमि का बैचान जरिए मुख्त्यारधारक के मैसर्स ब्रिज एण्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रा. लि./ गैरसायल संख्या 08 को किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नही रही है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। इस भूमि के खातेदार बुधा पुत्र सुजा के फौत होने पर बुधाराम के वारिसान के आवेदन पत्र एवं वारिसान द्वारा उत्तराधिकारी होने का शपथ पत्र देने के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरण संख्या 2356 की कार्यवाही खोली गई थी। जिसमें मजमें आम में जांच करने के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण संख्या 2356 को स्वीकार करते हुए भूमि गैरसायल संख्या 01 से 06 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई थी। इस प्रकार से गैरसायल संख्या 01 से 06 जो कि इस वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार रहे है। इस प्रकार से इस भूमि में सायलान का न तो कभी किसी प्रकार का कोई हक अधिकार रहा न ही कभी कोई कब्जा रहा। उक्त वादग्रस्त भूमि सायलान की पैतृक पुश्तैनी होने के कथन कतई गलत है। तथा सायलान के सहहिस्सेदार होने के कथन भी गलत है। गैरसायल संख्या 01 से 06 ने अपने स्वयं की व परिवार की जायज जरूरत हेतू पंजीबद्ध बैचान दिनांक 30.08. 2010 तथा 25.03.2011 को निष्पादित किए है। जिसके बाबत् राजस्व न्यायालय को घोषणा का अनुतोष देने का कोई अधिकार नही है। बैचान विलेख के अस्तित्व में रहते हुए उनकी वैधानिकता बाबत् जांच करने का राजस्व न्यायालय को कोई श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार नही है। जवाब देहन्दा कम्पनी इस भूमि की सद्‌भावी क्रेता है। तथा मौके पर भी जवाब देहन्दा कम्पनी का ही कब्जा व हक अधिकार है। इस प्रकार से सायलान ने बिना किसी हक अधिकार के ही अदालत श्रीमान के समक्ष बिना किन्ही आधारो के मूल वादपत्र बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। जिसमें सायलान किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। इस प्रकार से समस्त

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

रिस्थितियो एवं पंजीबद्ध बेचान विलेख दिनांक 30.08.2010 तथा 25.03.2011 के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में नही होकर जवाब देहन्दा कम्पनी के पक्ष में होने से सायलान की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावे। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 06 बुधमल के वारिसान है। ग्राम निम्बोल में स्थिम वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 433 रकबा 07-03 बीघा व खसरा संख्या 436 रकबा 05-08 बीघा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 की हिन्दू मुस्तफा खानदान की पैतृक पुश्तैनी आराजी है। अप्रार्थीगण संख्या 07 ने गैरकानूनी रूप से अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 का आम मुख्त्यारनामा तैयार करवाकर सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थीगण संख्या 08 के नाम जरिए विक्रय विलेख दिनांक 30.08.2010 को विक्रय कर दी। उक्त भूमि के 1/2 हिस्से की भूमि जो बुधमल की है उसमें प्रार्थीगण का हक अधिकार एवं हिस्सा निहित है। नामान्तरण संख्या 2356 भरते समय प्रार्थीगण बुधमल की संतान होते हुए भी प्रार्थीगण का नाम छोड़ दिया गया जो गलत है एवं प्रार्थीगण के हक अधिकारो के विरूद्ध प्रभावशून्य है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से में 1/8-1/8 हिस्सा निहित है जिसकी घोषणा करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है।

अप्रार्थीगण संख्या 10 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश करते हुए प्रार्थीगण के कथनो का खण्डन करते हुए कथन किया कि मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड का पश्चातवर्ती प्रक्रम में मैसर्स निरमा लिमिटेड निम्बोल का नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड में समागम हो गया। वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण का कोई हक अधिकार एवं कब्जा काश्त निहित नही है। अप्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड व काबिज खातेदार काश्तकार प्रकाशचंद श्रवणकुमार पि. बुधमल, बेबीदेवी संतोष पार्वती पि. बुधमल एवं भंवरी देवी पत्नी बुधमल व शंकर पुत्र सुजाराम खाती से जरिए पंजीबद्ध बैचान दिनांक 25.06.2010 प्रतिफल राशि का भुगतान कर क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया एवं मांफिक बैचाननामा नामान्तरण संख्या 2397 से उक्त भूमि क्रेता के नाम दर्ज हुई। प्रार्थीगण द्वारा उक्त बैचाननामा को चैलेंज नही किया है अतः निष्पादित पंजीबद्ध बैचाननामा दिनांक 25.06.2010 के अस्तित्व में रहते हुए प्रार्थीगण घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निहित नही है।

पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 ग्राम निम्बोल के अनुसार वादग्रस्त आराजी बुधा शंकर पि. सुजा

पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

तौर खातेदार दर्ज है। नामान्तरण संख्या 2356 ग्राम निम्बोल द्वारा खातेदार बुधा पुत्र बुजा के दिनांक 27.01.2005 को फौत हो जाने से वारिसान के रूप में प्रकाशचंद श्रवणकुमार पि. बुधमल, बेबीदेवी संतोष पार्वती पि. बुधमल व भंवरी देवी पत्नी बुधमल दर्ज किया गया। कार्यालय विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर पाली द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 4398 दिनांक 28.12.2012 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 433 रकबा 07-03 बीघा एवं खसरा संख्या 436 रकबा 05-08 बीघा औद्योगिक (सीमेंट उद्योग) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित की जा चूकी है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 05(24) में यथापरिभाषित भूमि के अन्तर्गत नही आती है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी के संबंध में विचारण नही किया जा सकता हैं अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है। अतः यह बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

<u>(02) सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :-</u> चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित हुआ हैं, साथ ही वादग्रस्त आराजी सक्षम स्तर से सक्षम अधिकारी द्वारा औद्योगिक (सीमेंट उद्योग) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित हो चूकी है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 05(24) के अन्तर्गत यथापरिभाषित भूमि की श्रेणी में नही होने से प्रकरण न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार से परे है अतः उपर्युक्त दोनो बिन्दू बखूबी साबित नही होने से प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किए जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया असफल रहे हैं, अतः प्रार्थना-पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 30/08/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)